कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

(निविदा आमंत्रण सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन कमांक बी/1984/चार–4–8/2016 जबलपुर, दिनांक 28.03.2017 के पालन में उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय कक्ष/विश्राम कक्ष में वातानुकूलित संयत्र स्थापित किये जाने हेतु फाईव स्टार स्पलीट वातानुकूलित संयत्र 02 टन के 16 नग मय स्टेपलाइजर, स्टेण्ड व इन्सटालेशन चार्ज सहित सक्षम फर्म से भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम–2015 की कंडिका–11.2 अनुसार दिनांक 30.06.2017 तक संलग्न निविदा फार्म पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर (म.प्र.) में अपरान्ह 4:00 बजे तक निर्धारित शर्तो के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

शर्तें :–

1. फर्म वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. निविदा दिनांक 01.07.2017 को अपरान्ह 2:30 बजे खोली जावेगी निविदाकर्ता या उसका अधिकृत्य प्रतिनिधि उक्त दिनांक एवं समय को उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित रह सकता हैं।
3. निविदा में सभी प्रकार के करों व क्रय मूल्य का खुलाशा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से किया जावेगा।
4. निविदा का प्रारूप निविदा के साथ डाला गया है जो माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की बेवसाइड **www.mphc.gov.in** पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है या कार्यालयीन समय पर कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
5. क्रय की गई सामग्री का परिदान कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर में किया जावेगा।
6. एक से अधिक फर्म/विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत की गयी दरे समान होने की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/विक्रेता की साख/कार्य गुणवत्ता वारंटी आदि को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम साख/कार्य गुणवत्ता वाली फर्म की निविदा स्वीकार की जा सकेगी। इस हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

निरंतर .....

7. निविदा की शर्ते अथवा क्रय की गई सामग्री सप्लाई करने आदि में किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

8. वातानुकूलित संयत्र इन्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।

9. क्रय/सप्लाई/कार्य आदेश किसी भी समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा इसके लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

10. वातानुकूलित संयत्र कय किये जाने की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती हैं।

11. निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा निविदा के साथ वातानुकूलित संयत्र मय स्टेपलाइजर, स्टेण्ड व इन्सटॉलेशन चार्ज की आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य अनुसार 20000/— (रू. बीस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट प्रतिभूति स्वरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। जो निविदा की अंतिम वैद्यता की तिथि के बाद 45 दिन की अवधि के लिये वैध होना आवश्यक होगा। डिमांड ड्राफ्ट के अभाव में निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

12. असफल विनिदाकर्ताओं की प्रतिभूति को यथाशीघ्र लौटाई जावेगी।

13. संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये सफल निविदाकर्ता से आवश्यतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जाकेगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सामान्यः संविदा के मूल्य का कुल दस प्रतिशत होगी। निष्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के नाम का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जा सकेगी।

14. निविदाकर्ता के द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा किये गये डिमांड ड्राफ्ट की राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

15. निष्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं की पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि के लिये वैध होना आवश्यक होगा।

16. क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय आदेश निरस्त किया जाकर सुरक्षा निधि की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

निरंतर ....

17. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

18. निविदा आमंत्रण की शर्तो में विसंगति पाये जाने अथवा किसी भी विवादित स्थिति का निराकरण मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम--2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

26.5.17

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर (म.प्र.)

निविदा का प्रारूप

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

विषय :– जिला स्थापना बुरहानपुर के द्वारा एयर कंडीशनर क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ :– निविदा प्रकाशन दिनांक ....

—00—

मै .... पिता .... आयु ....वर्ष, निवासी–..फर्म .... जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के निर्देशानुसार निविदा में दर्शित अनुसार वातानुकुलित संयत्र मय स्टेपलाइजर, स्टेण्ड व इन्सटॉलेशन चार्ज सहित/सामान आपूर्ति/विक्रय करने हेतु निम्न निविदा प्रस्तुत करता हूँ :–

01	विक्रेता फर्म का पूरा नाम	
02	डाक का पूर्ण पता	
03	इन्कम टैक्स पेन नम्बर	
04	टीन नंबर (Tin No.)	
05	दूरभाष एवं मोबाइल नंबर	
06	फैक्स नंबर	
07	ई–मेल आईडी नंबर	

क्र.	उपकरण/ सामान का विवरण	क्षमता/ गुणवत्ता	निर्माता कपनी का नाम	अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति नग	निविदा के अंतर्गत प्रस्तावित दर प्रति नग	वेट टैक्स प्रति नग	कुल राशि प्रति नग (कॉलम संख्या 6+7)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मैंने निविदा की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली है और इन्हें मैं स्वीकार करता हूँ। मै निविदा की शर्तो के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सामग्री वातानुकुलित संयत्र मय स्टेपलाइजर, स्टेण्ड व इन्सटॉलेशन चार्ज के संबंध में प्रतिभूति के रूप में डिमांड ड्राफ्ट क्र.......... दिनांक .... रू. 20000/– जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के नाम का संलग्न कर जमा कर रहा हूँ।

स्थान :– .... (निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

दिनांक :– / /2017 पूरा नाम :– ....

पता :– ....

संलग्न :–